

**प्रगति के पथ पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश**  
**हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार**  
**कल्याण बोर्ड**

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन 2 मार्च, 2009 में, हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है।

1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य क्या है ?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, भवनों, मार्गों सड़कों, सिंचाई, जल निकास तट बंध, बाढ़ नियंत्रण, कार्य वर्षा, जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण गिराया जाने से सम्बन्धित कार्य में सम्मिलित हैं। मनरेगा के अन्तर्गत भी किए जा रहे भवन एवं सन्निर्माण कार्य शामिल है। परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे, जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा माईन्ज अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं।

2. पंजीकरण कैसे करवाएं ?

- i. पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त परिभाषित सन्निर्माण कार्यों पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की अवधि शामिल की जानी मान्य होगी।
- ii. पंजीकरण के लिए कामगार को दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसे-स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र, जन्म और मृत्यु से सम्बद्ध रजिस्टर से प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचक

मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति, राशन कार्ड, नियोक्ता से आयु प्रमाण-पत्र, श्रम अधिकारी द्वारा सत्यापित पहचान कार्ड की प्रति पर भी आयु सबूत के लिए विचार किया जाएगा ।

- iii. कामगार को आवेदन के साथ नियोजक (मूचसवलमत) या ठेकेदार से मजदूरी पर्ची या नियोक्ति-पत्र जिस में स्पष्ट हो कि वह निर्माण कामगार है तथा कार्य स्थल व कार्य का पूर्ण ब्योरा दिया हो, प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो तो प्राधिकृत द्वारा आवश्यक सत्यापन की शर्त पर पंजीकृत निर्माण कामगार युनियन द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर भी विचार किया जा सकता है।
- iv. पात्र कामगार पंजीकरण हेतु अपने कार्यक्षेत्र के श्रम अधिकारी या श्रम निरीक्षक से परामर्श/ सहायता हेतु सम्पर्क कर सकते हैं। हि0 प्र0 में समस्त श्रम अधिकारी पंजीकरण हेतु प्राधिकृत हैं।
- v. पंजीकरण शुल्क केवल मात्र 1/- रुपया एक ही बार देय है। बोर्ड का सदस्य लगातार बने रहने के लिए एवं योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कामगार (लाभार्थी) को 9/- रुपए की दर से अग्रिम में अंशदान जमा करवाना होगा जो पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। अगले तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण शुल्क 15 रुपए देय होगा।

### 3. बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों (कामगारों) को बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :-

क्रमांक	योजना एवं पात्रता	देय राशि
1.	स्वास्थ्य कवर (सदस्यता)	(1) <u>राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:-</u> इसके अन्तर्गत लाभार्थी के पति/पत्नी एवं परिवार के अन्य तीन सदस्यों को 30,000/- (तीस हजार) रुपये तक चिन्हित चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज करवाने का प्रावधान है।
2.	मातृत्व / पितृत्व प्रसुविधा (दो माह)	महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय मुबलिग 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये राशि देय होगी। पुरुष लाभार्थी 1,000/- (एक हजार) रुपये के लिए हकदार होगा। यह सुविधा दो बच्चों

	सदस्यता)	तक ही देय होगी।																											
3.	मृत्यु प्रसुविधा (लाभ) (सदस्यता)	सदस्य की मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों / आश्रितों को मुबलिंग 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की राशि दी जाएगी एवं प्राकृतिक मृत्यु पर रु. 1,00,000/- की राशि देय।																											
4.	अन्तिम संस्कार हेतु सहायता (सदस्यता)	नाम निर्देशितों आश्रितों को रु 20,000/- (बीस हजार) रुपये की राशि देय होगी।																											
5.	चिकित्सा सहायता (सदस्यता)	लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित/पंनलित अस्पतालों/औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य चिकित्सा उपचार के लिए मु0 10000/- रु0 (दस हजार) केवल अ०र अंतरंग चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए रु0 30000/- (तीस हजार रुपए केवल)।																											
6-	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (दो माह सदस्यता)	<p>बोर्ड अपने सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष निम्न दर से सहायता प्रदान करेगा:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th> <th>पाठ्यक्रम</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>छठी से आठवीं स्तर तक</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>नौवीं से दसवीं स्तर तक</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>10+1 एवं 10+2 स्तर तक</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>क) स्नातक कक्षाएं:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) कला स्नातक</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) बी.एस.सी./बी. कॉम/ बी.बी.ए. या इसके बराबर</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ख) स्नातकोत्तर:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्रमांक	पाठ्यक्रम	राशि	1.	प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक	3,000.00	2.	छठी से आठवीं स्तर तक	3,000.00	3.	नौवीं से दसवीं स्तर तक	6,000.00	4.	10+1 एवं 10+2 स्तर तक	6,000.00	5.	क) स्नातक कक्षाएं:			1) कला स्नातक	10,000.00		2) बी.एस.सी./बी. कॉम/ बी.बी.ए. या इसके बराबर	10,000.00		ख) स्नातकोत्तर:	
क्रमांक	पाठ्यक्रम	राशि																											
1.	प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक	3,000.00																											
2.	छठी से आठवीं स्तर तक	3,000.00																											
3.	नौवीं से दसवीं स्तर तक	6,000.00																											
4.	10+1 एवं 10+2 स्तर तक	6,000.00																											
5.	क) स्नातक कक्षाएं:																												
	1) कला स्नातक	10,000.00																											
	2) बी.एस.सी./बी. कॉम/ बी.बी.ए. या इसके बराबर	10,000.00																											
	ख) स्नातकोत्तर:																												

			(1) कला एवं वाणिज्य संकाय	15,000.00
			(2) विज्ञान संकाय	15,000.00
			डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि:	
			(1) एक वर्ष	15,000.00
			(2) दो वर्ष	15,000.00
			(3) तीन वर्ष	15,000.00
			व्यवसायिक पाठ्यक्रम उपलब्धियां	25,000.00
			पी.एच.डी./अनुसंधान पाठ्यक्रम	25,000.00
7.	शादी हेतु वित्तीय सहायता (दो माह सदस्यता)	दो बच्चों के विवाह हेतु मुबलिग 35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये प्रत्येक बच्चा। लाभार्थी के स्वयं और बच्चों की शादी हेतु भी सहायता देय है।		
8.	महिला साइकिल (दो माह सदस्यता)	महिला हिताधिकारी को बोर्ड द्वारा एक बार एक साइकिल प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल महिला हिताधिकारी को दी जाएगी जिसने ऐसी वाहन सहायता पहले प्राप्त न की हो ।		
9.	इंडक्शन हीटर या सोलर कुकर (दो माह सदस्यता)	हिताधिकारी या उसके परिवार को एक बार, बोर्ड एक इंडक्शन हीटर या एक सोलर कुकर उपलब्ध करवा सकेगा।		

10.	<p>कौशल विकास भत्ता (राज्य सरकार की कौशल विकास योजना 2013 के अनुरूप) (दो माह सदस्यता)</p>	<p>हिताधिकारी उसके पति/पत्नी, उसके दो बच्चों तक कौशल विकास कोर्स करने के लिए ₹0 1500/- (एक हजार पांच सौ) प्रतिमास की दर से कोर्स की अवधि के दौरान कौशल विकास भत्ता उपलब्ध करवा सकेगा ।</p> <p>हिताधिकारी उसके पति/पत्नी उसके दो बच्चों तक कुल फीस, बोर्डिंग और लॉजिंग, प्रभारों के संदत्त करने पर राज्य में या भारत में किसी सरकारी संस्थान से आवासीय कौशल विकास कराने की व्यवस्था कर सकेगा।</p> <p>कौशल विकास कोर्स के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु हिताधिकारी और उसके पति/पत्नी की दशा में 18 से 35 वर्ष और बच्चों की दशा में 15 से 35 वर्ष होगी।</p> <p>हिताधिकारी पति/पत्नी और बच्चे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपने कौशल की अभिवृद्धि (अपग्रेडेशन) के लिए न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए कौशल विकास कोर्स कर सकेंगे जिसके लिए उन्हें वर्ष में किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म में कम से कम 90 दिन के लिए कार्य करना होगा और इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र वर्षानुवर्ष आधार पर सचिव या बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।</p>
11.	<p>सोलर लैम्प (दो माह सदस्यता)</p>	<p>बोर्ड द्वारा हिताधिकारी को एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में एक सोलर लैप प्रदान किया जाएगा।</p>
12.	<p>महिला हिताधिकारी के लिए वाशिंग मशीन (दो माह सदस्यता)</p>	<p>महिला हिताधिकारी को एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में एक वाशिंग मशीन प्रति कुटुम्ब/परिवार केवल एक बार प्रदान की जाएगी।</p>
13.	<p>पेंशन सुविधा</p>	<p>बोर्ड का हिताधिकारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होगा जो न्यूनतम राशि 500/- (पांच सौ रुपए) केवल, प्रतिमाह देय रहेगी।</p>
14.	<p>इसके अतिरिक्त अन्य लाभकारी योजनाएं जैसे कि:-अपंगता पेंशन एवं कर्मकार ट्रांजिट</p>	

होस्टल तथा कौशल विकास प्रशिक्षण सुविधाओं का भी प्रावधान है।